रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1987/माघ 10, 1908
No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, JAN. 30, 1987/MAGHA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 5-ई टी सी. (पी एन)/87

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1987

विषय —मूंगफली, एच पी एस किस्म सहित (छिलके और गिरियां दोनों में) का निर्यात ।

फा. 38(2)/87-ई-2.—मूंगफली, एच पी एस किस्म सहित (छिलके और गिरियां दोनों में) के निर्यात के संबंध में सार्व. सूचना सं. 4-ई टी सी (पी एन)/87, दिनांक 27 जनवरी, 1987 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अब यह निश्चय किया गया है कि कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कुल बिक्री सौदों के कम से कम 98 प्रतिशत द्वारा समर्थित अपरिवर्तनीय साखपत्रों के मद् केवल रुपये में भुगतान वाले क्षेत्र के देशों को उपर्युक्त मद् का निर्यात करने की अनुमति देगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि बिक्री सौदे का शेष 2 प्रतिशत पहले परेषण के सम्बन्ध में पोतलदान की तिथि से छ. महीने की अवधि के भीतर स्वदेश लौटा दिया है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चय करेगा कि वास्तविक निर्यात करने से पहले संविदा करने वाली पार्टियों के बीच निर्यात संविदा की शर्तों के अनुसार विशेष रूप से इस धारणा को शामिल कर लिया गया है।

3. सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को उक्त मदों का निर्यात वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता रहेगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 5-ETC(PN)|87

Nw Delhi, the 30th January, 1987

Subject.—Export of Groundnuts, including HPS Variety (both in shell and kernels).

File No. 38(2)|87-EII.—Attention is invited to the Public Notice No. 4-ETC(PN)|87 dated the 27th January, 1987, regarding export of Groundnuts, including HPS Variety (both in shell and kernels).

2. In partial modification, it has since been decided that the Agricultural Products Export Development Authority shall allow export of the said item to Rupee Payment Area Countries, against Irrevocable Letters of Credit, supported by at least 98 per cent of the total sale proceeds, subject to the condition that the balance 2 per cent of the sale proceeds is repatriated within a period of six months from the date of the shipment in respect of the first consignment. Agricultural Products Export Development Authority (APEDA) will ensure that this stipulation is specifically included in the terms and conditions of the export contract between the contracting parties before the actual exports are made.

3. Export of the said item to GCA Countries will continue to be governed by the existing procedure.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987